संख्या-43/337/84-2-2013-3(वि0/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 अक्टूबर, 2013

विषय उ0प्र0 सेवाकाल में सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अंतर्गत मृतक के आश्रितों में एक से अधिक व्यक्तियों को सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-283/84-2-2013-3(वि0)/2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वांछित सूचना शासन में अब तक अप्राप्त है। अत: कृपया वांछित सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार वांछित सूचना इस अनुभाग को दो प्रतियों में उपलब्ध कराने के साथ ही उसकी एक प्रति खाद्य एवं रसद अनुभाग-1 को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in